



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462018
(0755) 2464428, 2466191, e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

75
जाज़ादी
अमूल महोत्सव

कमांक 1852 /तक/प्रनिबो/2023

भोपाल, दिनांक 26-7-2023

कार्यालय आदेश

ऐसे उद्योग/संस्थान जो किन्ही कारणों से सम्मति वैद्यता समाप्ति के पश्चात् उनके द्वारा विलम्ब से आवेदन करते हैं, उन्हें सुविधा देने की दृष्टि से सम्मति/नवीनीकरणों प्रकरणों के नियमितीकरण हेतु निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त शुल्क राशि का 2 प्रतिशत प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देय होगा। तथा ऐसे उद्योग/संस्थान जिनकी सम्मति नवीनीकरण आवेदन उचित जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं करने/सम्मति शर्तों का पालन नहीं करने/ बोर्ड द्वारा दी गई समयावधि में उपकरण न लगाने के कारण निरस्त किया जाता है, तथा इकाई सम्मति वैद्यता अवधि के पश्चात् उत्पादनरत रहती है, तो उत्पादनरत अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ती लगाई जा सकेगी।

पृ.क. 1853 /तक/प्रनिबो/2023
प्रतिलिपि :-

9/2 (चन्द्रमोहन ठकुर)
सदस्य सचिव
भोपाल, दिनांक 26-7-2023

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. डायरेक्टर पर्यावरण, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त यूनिट हेड, तकनीकी शाखा, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/प्रयोगशाला प्रभारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर सूचनार्थ।
5. आई.टी. प्रभारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रहित कर निर्देशित किया जाता है कि विलम्ब शुल्क की गणना का प्रावधान एक्सजीएन में लागू करें।
6. तकनीकी शाखा/गार्ड फाईल।

9/2 (चन्द्रमोहन ठकुर)
सदस्य सचिव